जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

पत्रांकः– संचिका सं0 9-37/2012-13 /जिला परि०, हाजीपुर दिनांकः–

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
वैशाली, हाजीपुर ।

विषयः– **श्री रामलगन प्रसाद, (कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग) प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, जिला परिषद, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दर्ज की गयी प्राथमिकी नगर थाना, हाजीपुर काण्ड सं0– 494/06.08.13 के संबंध में ।**

प्रसंगः– जिला अभियंता, वैशाली का पत्रांक– 224 दिनांक– 02.08.13 जिसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी।

महाशय,

श्री रामलगन प्रसाद, पिता– स्व0 दाहु प्रसाद, ग्राम– कोसमा, पो0– धर्मशाला, थाना– चन्दौती, जिला– गया जिला परिषद, वैशाली में विकास कार्यो के कार्यान्वयन हेतु प्रतिनियुक्त थें। कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला परिषद, वैशाली (सेवानिवृत्त) के संबंध में घटना क्रम एवं तथ्य क्रमवत अधोलिखित है। इनके विरूद्ध प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सरकारी राशि के गबन/वित्तीय अनियमितता आदि के लिए जिसमें कुल– 8887749.00 रूपये सन्निहित है, प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

1. श्री रामलगन प्रसाद, कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग को तत्कालीन अध्यक्ष, जिला परिषद के अनुशंसा पर जिला परिषद, वैशाली के पत्रांक– 146/गो0 दिनांक– 09.06.2004 द्वारा जिला परिषद में प्रतिनियुक्त किया गया था।
2. तदुपरान्त जिला परिषद कार्यालय के पत्रांक– 873 दिनांक– 17.11.09, पत्रांक– 438 दिनांक– 12.12.05, पत्रांक– 316 दिनांक– 09.12.06, पत्रांक– 26मु0 दिनांक– 10.10.09 के द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति को विस्तारित किया जाता रहा ।
3. जिला परिषद कार्यालय में इनके विरूद्ध कतिपय श्रोतों से अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुयी थी, जिसपर तत्कालीन पदाधिकारियों के द्वारा आंतरिक जॉच भी हुयी, जिसमें श्री रामलगन प्रसाद के विरूद्ध अन्य बातों के अलावा अग्रिम राशि सामंजन नहीं करने तथा वापस जमा नहीं करने की भी बात सामने आयी । इसी बीच महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा की टीम द्वारा भी जिला परिषद, वैशाली का अंकेक्षण हुआ एवं उनका अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक– 13.06.13 को हस्ताक्षरित जो उनके कार्यालय के पत्रांक– स्था0 ले0प0/पं0रा0सं0–1/152 दिनांक– 13.06.13 (पृष्ट–12) प्राप्त हुआ।

   इस अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका–23 में अग्रिम के असमायोजित रहने एवं रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी का संधारण सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा नहीं किये जाने के मद्येनजर यह अंकित किया गया कि "ऐसी स्थिति में गंभीर वित्तीय अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता" ।
4. इस अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 527/2012–13, जिला परिषद, वैशाली अवधि – 2011–12 दिनांक– 13.06.13 के आलोक में राजीव रंजन एण्ड एसोसियेटस, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, पटना द्वारा जिला अभियंता कार्यालय एवं सहायक अभियंता कार्यालय का आंतरिक अंकेक्षण कराया गया, जिसके आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री रामलगन प्रसाद, कनीय अभियंता द्वारा वर्ष– 2008–09 से 2012–13 तक विकास कार्यो के विभिन्न मदों में मो0– 8887749.00 (अठासी लाख सतासी हजार सात सौ उनचास) रूपये का समायोजन नहीं हुआ है। यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
5. इस कार्यालय के पत्रांक– 561 दिनांक– 08.05.13, पत्रांक– 83 दिनांक– 01.02.13 एवं पत्रांक– 90 दिनांक– 04.02.13 द्वारा उनसे सामंजन या अग्रिम राशि की वापसी हेतु लिखा गया। परन्तु उन्होंने इन पत्रों को न तो प्राप्त किया और न ही अग्रिम का समायोजन या वापसी किया ।
6. तदुपरान्त जिला अभियंता कार्यालय के पत्रांक– 113 दिनांक– 30.04.13 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को श्री रामलगन प्रसाद द्वारा राशि का सामंजन नहीं करने या अग्रिम

04/12

राशि वापस नहीं करने से संबंधित सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु लिखा गया। जिसके आलोक में दिनांक– 13.05.13 को दौनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी । इस सूचना में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि यदि श्री रामलगन प्रसाद दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करते है तो उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी ।

7. उपर्युक्त सूचना के प्रकाशन के बाद भी श्री रामलगन प्रसाद ने न तो कोई लिखित उत्तर समर्पित किया और न ही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष ही रखा । उन्होंने न तो लिये गये अग्रिम का सामंजन ही समर्पित किया और न ही लिये गये अग्रिम राशि की वापसी ही की । इसके कारण जिला अभियंता कार्यालय के पत्रांक– 224 दिनांक– 02.08.13 द्वारा नगर थाना, हाजीपुर में उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिसका काण्ड सं0– 494/2013 है। साथ ही उनके विरूद्ध नीलामपत्र वाद भी दायर किया गया, जिसका नीलामपत्र वाद सं0– 14/2013–14 है, जिसमें नोटिस निर्गत किया गया है, जो उनके घर पर चिपका दिया गया है। वर्तमान में श्री रामलगन प्रसाद, जिनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है के संबंध में Status Report इस कार्यालय के पत्रांक– 1048 दिनांक– 15.10.15 द्वारा भवदीय से मॉगा गया है, को कृपया संदर्भ में लेना चाहेंगे।

8. उपरोक्त मामले के संबंध में विभाग द्वारा भी लगातार समीक्षा की जा रही है और इस मामले की गंभीरता सरकार के संज्ञान में है। अधोहस्ताक्षरी को इस केस की प्रगति अर्थात अभ्युक्त की गिरफ्तारी, अनुशंधान की प्रगति या इस मामले में अभियोग पत्र (चार्ज सीट) दायर हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं होने के कारण विभागीय सचिव द्वारा भी ऐसे मामलों की समीक्षा होती है, जिसमें अद्यतन स्थिति बता पाना संभव नहीं होता है। इस संबंध में सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा भी समीक्षा की जा रही है एवं उनके द्वारा उनके कार्यालय के अर्द्ध सरकारी पत्रांक–22/नि0सि0 (मुज0)–06–04/2009/2351 दिनांक– 12.10.15 जिसका उत्तर इस कार्यालय के पत्रांक– 1051 दिनांक– 20.10.15 द्वारा भेजा गया है। भवदीय सहमत होंगे कि अभियुक्त श्री रामलगन प्रसाद के विरूद्ध दर्ज की गयी प्राथमिकी को तार्किक अंजाम तक पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है। मेरा भवदीय से अनुरोध होगा कि इस गंभीर और बड़े गबन/ वित्तीय अनियमितता के मामले के अनुशंधान एवं श्री रामलगन प्रसाद के अभियुक्तिकरण हेतु व्यक्तिगत अभिरूची लेने की आवश्यकता है। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेन्श की नीति अपना रही है, ऐसे में भी यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

9. इस अभियुक्त के विरूद्ध मेरे पदस्थापन के पूर्व भी एवं दरमेयान भी कई परिवाद कई महत्वपूर्ण साबुतों के साथ आते रहें है। मैं इनमें से कईएक कागजात इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय विवेचनार्थ भेज रहा हूँ । कदाचित यह महत्वपूर्ण दस्तावेज श्री रामलगन प्रसाद के अभियुक्तिकरण में सहायक सिद्ध हो सकेंगे । साथ ही इनके विरूद्ध जो प्राथमिकियॉ दर्ज की गयी है एवं समय–समय पर विभाग को एवं महालेखाकार को जो सूचनाएँ सम्प्रेषित की गयी है, उसकी छाया प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न कर भेज रहा हूँ ताकि भवदीय को अग्रेत्तर कार्रवाई करने में सहुलियत हो सके ।

अनु0:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

04/12/15

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

ज्ञापांकः– संचिका सं0 9-37/2012-13 1114 /जि0परि0, हाजीपुर दिनांकः– 4/12/15

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, वैशाली, पुलिस उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर एवं प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, प्रधान सचिव, निगरानी विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यों को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/12/15

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।